दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 18.05.2016 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 12.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
5.	डॉ0 शोभा गौड़	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
12.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	डॉ0 हर्मेश सिंह चौहान	सदस्य
15.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
16.	मा0 न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह	सदस्य
17.	वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी
18.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
19.	श्री प्रभाष द्विवेदी	कुलसचिव / सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं परीक्षाफल के प्रगति तथा नये सत्र में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की प्रगति से अवगत कराया कि पहली जुलाई, 2016 विश्वविद्यालय का सत्र 2016–17 प्रारम्भ हो जायेगा। कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि स्व0 मोहन सिंह के द्वारा भवन निर्माण हेतु सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये रूपये दो करोड़ से निर्मित भवन में पूर्वांचल संग्रहालय की स्थापना की गयी है। इस संग्रहालय का उद्घाटन दिनांक 14.05.2016 को माननीय सांसद श्रीमती जया बच्चन एवं श्रीमती डिम्पल यादव तथा श्रीमती कनकलता सिंह ने किया। इस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यसूची प्रस्तुत की –

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया– दिनांक 11.01.2016 की बैठक के कार्यवृत्त में कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता– विधि संकाय एवं प्रो0 यू0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति "दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में उनकी प्रतिमा परिसर में लगाने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से सहमति प्राप्त कर ली जाय। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को भेज दिया जाय" के संशोधन को स्वीकार किया।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। • कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बिन्दु संख्या 13 पर निर्णय लिया कि डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य–समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को नियमों के तहत किसी भी प्रकार का सेवानिवृत्तक लाभ देय होगा या नहीं होगा, क्योंकि वे यहाँ से बिना अनुमति लिए अन्यत्र कार्यरत रहे। इस प्रकरण पर गठित समिति की अन्तिम रिपोर्ट आने पर निर्णय होगा। • बिन्दु संख्या 32 पर निर्णय लिया कि डॉ0 परमहंस पाठक, सहयुक्त आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग एवं 6 अन्य को सहयुक्त आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हता निर्धारण करने हेतु रिसर्च एसोशिएट की सेवा को आगणित न किया जाय। • कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2016 के बिन्दु संख्या 41, जो कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी चयन समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 का लिफाफा खोलने सम्बन्धी है, पर निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति जी की तरफ से मा0 कुलाधिपति महोदय को पुनः एक अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जाय। • कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2016 के बिन्दु संख्या 38, जो विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न महानुभावों की मूर्ति स्थापित करने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य

	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय परिसर में मूर्ति स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया, जिसे कार्य परिषद् ने संज्ञान में लिया तथा इस पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण वर्ष 1996 से कार्य परिषद् के विचार–विमर्श हेतु आ रहा है तथा कार्य परिषद् द्वारा विभिन्न बैठकों में इस पर यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी की मूर्ति स्थापित न की जाय। अतः इस प्रकरण को यहीं अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया जाय। इस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी। • सी0बी0सी0आई0डी0 की पेपर लीक की आख्या का अवलोकन करने एवं अपनी विभागीय जाँच आख्या प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित करने का अधिकार कार्य परिषद् ने माननीय कुलपति को प्रदान किया।
	कार्य परिषद् ने आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्ट किया।
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई तथा संतोष व्यक्त किया।
5.	कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई तथा संतोष व्यक्त किया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्य परिषद् की विशेष बैठक बुलाकर विचार किया जाय।
7.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया।

	बैठक दिनांक 11.01.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
8.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
9.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
10.	कार्य परिषद् ने डॉ0 कनक त्रिपाठी डिग्री कालेज बरगदही, भटहट गोरखपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 6353/2016 डॉ0 कनक त्रिपाठी डिग्री कालेज बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश के संबंध में विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि पत्रांक सं0 : सम्बद्धता/2016/0072 दिनांक 23.01.2016 द्वारा सन्दर्भित महाविद्यालय के स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषयों भूगोल एवं संस्कृत तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन निरस्त करने सम्बन्धी आदेश को स्वीकार किया।**
11.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 5735/सा0प्र0/2016 दिनांक 10/18.03.2016 जो मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 नरसिंह तिवारी के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में अस्थायी नियुक्ति से सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
12.	कार्य परिषद् ने पत्रांक सम्बद्धता/2016/250 दिनांक 08.03.2016 द्वारा बच्चा चन्द स्मारक द्वावा विकास महाविद्यालय, ओनापार बेलघाट, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.03.2016 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय में दाखित रिट याचिका संख्या 10387/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2016 के समादर तथा मा0 कुलपति के आदेश दिनांक 8.3.2016 में अनुपालन में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा विषय में सत्र 2015–16 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा कराने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने बच्चा चन्द स्मारक द्वावा विकास महाविद्यालय, ओनापार बेलघाट, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.03.2016 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय में दाखित रिट याचिका संख्या 10387/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2016 के समादर तथा मा0 कुलपति के आदेश दिनांक**

	सम्बद्धता प्राप्त कर लिये हैं, के प्रकरण पर विचार किया। कार्य परिषद् ने संदर्भित प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि चूँकि एन0सी0टी0ई0, जयपुर में इस प्रकरण पर दिनांक 19.05.2016 को बैठक हो रही है, इसलिए इस प्रकरण पर विचार करते हुए बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय कुलपति को नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। (विश्वविद्यालय के द्वारा बिना पैनल के नियुक्त शिक्षकों की सूची, जिन 22 महाविद्यालयों द्वारा एन0सी0टी0ई0 के नियम 7.16 के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है, उन पर विधिक राय लेकर नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय।)
18.	कार्य परिषद् ने शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर साइंस विषय की सम्बद्धता के विषय में सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा भेजे गये आख्या पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि जिलाधिकारी, गोरखपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार चूँकि भूमि न तो महाविद्यालय के नाम अंकित है, न ही महाविद्यालय को संचालित करने वाली सोसाइटी के नाम अंकित है। ऐसी दशा में 21 अक्टूबर, 2005 के शासनादेश के अनुसार भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता प्रदान न करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, गोरखपुर की आख्या में यह इंगित किया गया है कि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत खतौनी फर्जी एवं कूटरचित है, इसलिए नियमानुसार महाविद्यालय के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाय। इस प्रकरण पर एक वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, अतः माननीय उच्च न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया जाय।
19.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया–
1.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
2.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष– विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 11.05.2016, जो विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रथम नियुक्ति की तिथि से प्रदान कर दिया जाय।
3.	कार्य परिषद् ने डॉ0 ए0पी0 शुक्ल, आचार्य एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के

	8.3.2016 के अनुपालन में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा विषय में सत्र 2015–16 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा कराने को स्वीकार किया तथा सन्दर्भित विषयों में सम्बद्धता की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।
13.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 5688/सा0प्र0/2016 दिनांक 05.03.2016 द्वारा छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की अभिरक्षिका पद का कार्यकाल दिनांक 05.01.2016 से एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारण सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
14.	कार्य परिषद् ने डॉ0 विजय चाहल, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग का पत्र दिनांक 25.02.2016 जो शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग की स्थापना से सम्बन्धित है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग की स्थापना से सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा इसे परिनियम में समाहित करने हेतु प्रस्ताव राजभवन को प्रेषित करने का निर्णय लिया।**
15.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 5680/सा0प्र0/2016 दिनांक 03.03.2016, जो डॉ0 राजकिशोर पाठक का विधि विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से सम्बन्धी है, से अवगत होना। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
16.	कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र संख्या 8293/7–जी0एस/2015 दिनांक 09.10.2015 जो डॉ0 सुशील कुमार तिवारी एवं डॉ0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग को प्रवक्ता पद पर स्थायी करने से सम्बन्धी है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने डॉ0 सुशील कुमार तिवारी एवं डॉ0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग को प्रवक्ता पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2012 में पारित आदेश के अनुपालन में स्थायी करने का निर्णय लिया।**
17.	कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध 40 ऐसे महाविद्यालय, जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्राप्त किये बिना एन0सी0टी0ई0 से धारा 7.13 एवं 7.16 में बी0एड0 पाठ्यक्रम में

	पत्र दिनांक 28.04.2016 जो Indian Army's 'Think Tank' Center for Land Warfare Studeis (CLAWS) and the Department of Defence and Strategic Studies के बीच अनुबन्ध सम्बन्धी से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
4.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 5862/सा0प्र0/2016 दिनांक 06.05.2016, जो शारीरिक शिक्षा के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन अधिष्ठाता–शिक्षा संकाय द्वारा किये जाने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
5.	कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने एवं उसे विश्वविद्यालय से लिंकअप कराने से सम्बन्धी है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने माननीय कुलपति से अनुरोध किया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सी0सी0टी0वी.0 कैमरा लगाने एवं उसे विश्वविद्यालय से लिंकअप कराने से सम्बन्धी प्रस्ताव को महाविद्यालयों के प्रबन्धक को प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेज दिया जाय।**
6.	अध्यक्ष, कार्य परिषद् महोदय की अनुकत से न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह, सदस्य कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि के प्रत्यावेन के सम्बन्ध में कार्य परिषद् में विचार हेतु प्रस्ताव रखा गया। इस सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निम्नलिखित तथ्य से अवगत कराया– • डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि से सत्र 2010 से शिक्षण कार्य में कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विभिन्न रिट याचिकायें दाखिल की गयी थीं, जिसमें पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 दाखिल की गयी। उपर्युक्त एस0एल0पी0 में पारित अन्तरिम आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को स्टे कर दिया गया और रिट याचिका का निस्तारण गुण–दोष पर करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय को निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 360 SB/2011 के साथ डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका सिंख्या– 453 SB/2011 डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यू0पी0 एवं अन्य तथा अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं को एक साथ संलग्न करते हुए दिनांक 17.04.2012 को निस्तारित कर दिया गया। • उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में डॉ0 भगवती नन्दन मिश्रा द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के

अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा संदर्भ संख्या– ई 1509/जी0एस0 दिनांक 19 फरवरी 201[illegible] को निरस्त कर दिया गया। पुनः डॉ0 भगवती नन्दन मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ–लखनऊ में रिट याचिका दाखिल किया गया है, जो अद्यतन माननीय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

- यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा **विनियमितीकरण किये जाने** के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका एस0बी0 संख्या– 7723/2012 डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य दाखिल किया गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2012 को निरस्त कर दिया गया।

- इस प्रकार डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों/प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि के प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह ने विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित कुलसचिव श्री प्रभाष द्विवेदी द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी सेवाओं के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलसचिव

कुलपति